



## IBC के तहत वसूली में वृद्धि

### प्रलिस के लिये:

[दवाला और शोधन अक्षमता संहिता \(Insolvency and Bankruptcy Code- IBC\), 2016](#), [भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड \(Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI\)](#), वित्तीय रूप से तनावग्रस्त कंपनियों, [दवालियापन, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण \(National Companies Law Tribunal- NCLT\)](#), [ऋण वसूली न्यायाधिकरण \(Debt Recovery Tribunal- DRT\)](#), [ऋणदाताओं की समिति \(Committee of Creditors- CoC\)](#), [दवाला पेशेवर](#)

### मेन्स के लिये:

[दवाला और शोधन अक्षमता संहिता \(Insolvency and Bankruptcy Code- IBC\), 2016](#), [भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड \(Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI\)](#)

[स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स](#)

## चर्चा में क्यों?

[भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड \(Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI\)](#) के हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में लेनदारों ने [दवाला और शोधन अक्षमता संहिता \(Insolvency and Bankruptcy Code- IBC\), 2016](#) के तहत अपने लगभग आधे दावों को 330 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया है।

## नवीनतम आँकड़ों की मुख्य बातें क्या हैं?

### ■ वसूली दरें और समयबद्धता:

- आँकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय रूप से संकटग्रस्त 947 कंपनियों के समाधान के परिणामस्वरूप लेनदारों को 3.36 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो कि [IBC \(2016\)](#) की शुरुआत के बाद से उनके दावों के 32.1% के बराबर हैं।
- [दवाला और शोधन अक्षमता संहिता \(Insolvency and Bankruptcy Code- IBC\), 2016](#) के तहत स्ट्रेस रज़ोल्यूशन (Stress Resolution) में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन वसूली में तेज़ी नहीं आई है।
  - वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 में लेनदारों द्वारा वसूली 54% थी, जो महामारी के कारण वित्त वर्ष 21 में घटकर 22% रह गई है।
  - वित्त वर्ष 2022 में वसूली बढ़कर 23% और वित्त वर्ष 2023 में 36% हो गई तथा वित्त वर्ष 2024 में यह फिर घटकर 27% रह गई।
- पछिले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 24) में प्रस्तावों की संख्या रिकॉर्ड 269 तक पहुँच गई, जो वित्त वर्ष 23 में 189 और वित्त वर्ष 22 में 144 थी, जिसका मुख्य कारण पछिले दो वर्षों में सरकार द्वारा [राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण \(National Companies Law Tribunal- NCLT\)](#) के रिक्त पदों को भरना था।
- लेनदारों ने [दवालियापन स्वीकार करने](#) पर दबाव बनाने वाली कंपनियों के उचित मूल्य की तुलना में 85% पर मज़बूत संचयी वसूली (Stronger Cumulative Recoveries) का अनुभव किया है।
  - परसिमापन मूल्य के संदर्भ में, वसूली दर कुल परसिपत्तियों के 161.8% तक पहुँच गयी है।
- विशेषज्ञ स्ट्रेस रज़ोल्यूशन के लिये [दवाला और शोधन अक्षमता संहिता \(IBC\)](#) को समय पर शुरू करने के महत्त्व पर बल देते हैं, क्योंकि [देरी \(औसतन 679 दिनों\)](#) के कारण वसूली दर घटकर 26% रह गई है, जिससे परसिपत्त मूल्य एवं ऋण वसूली प्रभावित हुई है।

## IBC को मज़बूत करने हेतु प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

- वलिंब को कम करना: IBC की 330-दिनी की समय-सीमा के भीतर दवालियापन मामलों को कुशलतापूर्वक हल करना अनिवार्य है, समाधान


की वर्तमान औसत अवधि 679 दिन है, जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मुकदमेबाज़ी को कम करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

- **वसूली दरों में सुधार:** जबकि IBC ने इससे संबंधित समाधान को बढ़ावा दिया है, ऋणदाताओं द्वारा वसूले गए दावों के प्रतिशत में सुधार की आवश्यकता है। समय पर समाधान के लिये यह 49% से घटकर विलंबित मामलों में यह 26% हो गया है। इसे नमिन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है:
  - **NCLT में मामलों को कुशलतापूर्वक नपिटाने के लिये** पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रक्रिया में तेज़ी आए तथा लंबित मामलों के कारण होने वाली देरी को कम किया जा सके।
  - अनावश्यक कदमों को समाप्त करने व मानकीकरण प्रक्रियाओं से संबंधित अनुमोदनों में तेज़ी लाने के लिये IBC प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उन्हें सरल बनाना आवश्यक है।
- **क्षेत्र-वशिष्ट व्यवस्थाएँ:** **रयिल एस्टेट** जैसे क्षेत्रों के लिये विशेष दवालयिापन व्यवस्थाओं पर विचार कीजिये, जिनमें अन्य उद्योगों की तुलना में वशिष्ट चुनौतियाँ हो सकती हैं।
- **सीमा-पार दवालयिापन ढाँचा:** अनेक देशों में परसिंपत्तियों के साथ कंपनियों से जुड़े दवालयिापन मामलों को हल करने के लिये **अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRAL)** पर आधारित एक **प्रभावी कानूनी ढाँचा** स्थापित करना।
- **समय-सीमा की समीक्षा करना:** IBC द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पुनर्मूल्यांकन करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कुशल हैं और समाधान हेतु अनावश्यक देरी को कम किया जा सके।
- **सभी कंपनियों हेतु औपचारिक प्रीपैक:** केवल **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME)** के लिये ही नहीं, बल्कि सभी कंपनियों हेतु एक औपचारिक पूर्व-निर्धारित दवालयिापन प्रक्रिया (Pre-Packaged Insolvency Process) की अनुमति दें। इसमें औपचारिक दवालयिापन कार्यवाही शुरू करने से पूर्व एक समाधान योजना पर सहमति बनाना शामिल है।
- सभी कंपनियों के लिए औपचारिक प्रीपैक: सभी कंपनियों के लिए औपचारिक प्री-पैकेज्ड दवालयिापन प्रक्रिया की अनुमति दें, न कि केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए। इसमें औपचारिक दवालयिापन कार्यवाही शुरू करने से पहले एक समाधान योजना पर सहमति बनाना शामिल है।



# Costly Delay

## Resolution duration (Days)



\*% of creditors' claims approved by NCLT

**Insolvency cases** pertain to late 2016-March 2024

Source: IBBI

**679 DAYS** Average time taken for resolution of a stressed firm

**32.10%** Average recovery rate involving **947** resolved cases

